



Neutral Citation No. - 2026:AHC:41296

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए सं. - 1424 वर्ष 2026

शिव प्रसाद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अजय मिश्रा, रितेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश कुमार और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव की दलीलें सुनी गईं।
2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं; अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निपटारा इसी प्रारंभिक चरण में किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे वर्ष 1977 में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने 17.02.1977 को कार्यभार ग्रहण किया था; तत्पश्चात् उसे पदोन्नत कर सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया और वह 31.07.2014 को सेवानिवृत्त हो गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी उसे पूर्ण पेंशन का लाभ इस आधार पर नहीं दे रहे हैं कि दिनांक 08.12.2008 के सरकारी आदेश के आलोक में, पेंशन का कम्यूटेशन (एकमुश्त भुगतान) 15 वर्षों के पश्चात् किया जाना है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता **रिट-ए संख्या 5617/2024 (डॉ. ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)** में इस न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 28.05.2025 को दिए गए निर्णय पर भरोसा जताना चाहते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि यह मुद्दा अब कोई नया या अनसुलझा नहीं रह गया है, क्योंकि इस न्यायालय की एक समान पीठ ने **अशोक कुमार अग्रवाल और 48 अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (रिट-ए संख्या 17819/2024, निर्णय दिनांक 15.01.2025)** के मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए, **रिट-ए संख्या 19031/2024 (राधे श्याम शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, निर्णय दिनांक 06.03.2025)** में यह अभिनिर्धारित किया था कि दिनांक 08.12.2008 का वह कार्यालय ज्ञापन, जिसके द्वारा 15 वर्षों तक पेंशन की वसूली किए जाने का प्रावधान था, विधिमान्य है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

7. प्रथमदृष्ट्या, दिनांक 08.12.2008 का एक शासनादेश विद्यमान है, जिसके द्वारा पेंशन की वसूली को 15 वर्षों तक जारी रखने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 08.12.2008 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर की जा रही यह वसूली **रिट-ए संख्या 19031/2024** में चुनौती का विषय थी, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:

"2. यह रिट याचिकाओं का एक समूह है। सभी याचिकाकर्ता कई वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं; साथ ही, उन्होंने 'उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन नियमावली, 1941' के अंतर्गत अपनी-अपनी पेंशन का 'कम्यूटेशन' (एकमुश्त रूपांतरण) कराकर एकमुश्त राशि का लाभ भी प्राप्त किया है।"

3. याचिकाकर्ताओं को इस बात से शिकायत है कि उनकी कम्यूटेशन राशि लगभग 10 से 12 वर्षों में ही वसूल हो चुकी है; हालाँकि, 08.12.2008 के एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, पेंशन से वसूली को 15 वर्षों तक जारी रखने का निर्देश दिया गया है, और इस तरह सरकार को कम्यूट की गई राशि से कहीं अधिक राशि प्राप्त हो चुकी है। सभी रिट याचिकाकर्ताओं ने 08.12.2008 के उक्त कार्यालय ज्ञापन को इसी आधार पर चुनौती दी है कि उनके तर्क के अनुसार, कम्यूटेशन राशि कोई ऋण नहीं थी; इसलिए, केवल मूल राशि ही वसूल की जा सकती थी, उससे अधिक नहीं।

14. इस न्यायालय की खंडपीठ ने अशोक कुमार अग्रवाल (पूर्वोक्त) मामले में भी ऊपर संदर्भित निर्णयों का संज्ञान लिया है और कम्यूट की गई राशि को लौटाने के लिए 15 वर्षों की अवधि निर्धारित करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया है; इसलिए,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

अशोक कुमार अग्रवाल (पूर्वोक्त) मामले में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले में भी लागू होता है, और कोई भी ऐसी परिस्थिति मौजूद नहीं है जिसके आधार पर कोई भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

15. विवादित अधिसूचना 1941 के नियमों के प्रावधानों के तहत जारी की गई है, और इसमें केवल कम्प्यूटेशन (पेंशन के बदले एकमुश्त राशि लेने) की राशि और उसकी अवधि का तरीका निर्धारित किया गया है, जो अब 15 वर्ष है। केवल इस आधार पर कि सरकार को 12 से 15 वर्ष पहले कम्प्यूट की गई राशि के मुकाबले कुछ अधिक राशि प्राप्त हुई है, इस अधिसूचना को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता; यह कोई अतार्किक निर्णय नहीं है, और यदि ब्याज दर की गणना भी की जाए, तो वह भी बहुत कम होगी।

16. न्यायालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि एक रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि उन्होंने अपने कम्प्यूटेशन के रूप में 1 लाख से 7 लाख तक की एकमुश्त राशि का भुगतान किया है। लेकिन यह अपने आप में किसी भी उक्त अधिसूचना को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने न केवल 12 या 15 वर्ष पहले ली गई एकमुश्त राशि का लाभ उठाया है—जिसे उन्होंने 1941 के नियमों में वर्णित विशिष्ट उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए एक निश्चित वचनबद्धता के आधार पर लिया था—बल्कि उन्होंने यह भी खुलासा नहीं किया है कि क्या उस राशि का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए या किसी सहायक उद्देश्य के लिए किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है कि 15 वर्षों तक कम्प्यूट की गई राशि की वापसी के कारण, राज्य को कोई पर्याप्त आर्थिक लाभ हुआ हो।

17. न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'आर. गांधी बनाम भारत संघ और अन्य' (1999) सप्लीमेंट्री 1 एससीआर में पारित एक अन्य निर्णय का भी संज्ञान लिया, जिसमें 'कॉमन कॉज़' (पूर्वोक्त) के निर्णय का अनुसरण किया गया था। उसमें कहा गया था कि "कॉमन कॉज़ (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय को इस न्यायालय के बाद के सभी निर्णयों में कम्प्यूटेशन की तारीख से 15 वर्ष के रूप में समझा गया है, और हम पूरी विनम्रता के साथ इससे सहमत हैं। यह न तो किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और न ही किसी पक्ष को कोई अनुचित लाभ प्रदान करता है।" तदनुसार, उसमें विवादित ज्ञापन को सही ठहराया गया था, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कम्प्यूट की गई पेंशन की वसूली 15 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 'वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ एब्जॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ इन पब्लिक एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ और अन्य' (1991) 2 एससीसी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



265 में, तथा 'भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्व कर्मचारी संघ और अन्य बनाम...' मामले में भी 'कॉमन कॉज़' (पूर्वोक्त) के निर्णय का अनुसरण किया है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉम्बे और अन्य, (1993) 3 स्केल 424. (यह भी देखें: टी.आर. सिंगल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2003) 2 आईएलआर पंजाब और हरियाणा 254, और शीला देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, तथा 27.11.2024 को पंजाब और हरियाणा हाई न्यायालय द्वारा तय की गई 807 अन्य याचिकाएँ, जिनमें भी पेंशन के कम्प्यूटेड हिस्से की रिकवरी के लिए 15 साल की समय-सीमा तय करने की नीति को सही ठहराया गया था।)

18. न्यायालय इस बात पर भी ध्यान देता है कि याचिकाकर्ताओं की कम्प्यूटेड राशि 12 लाख से 14 लाख के बीच है और किस्त 11,000/- से 14,000/- प्रति माह के बीच है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी पेंशन राशि का भी खुलासा नहीं किया है। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि अन्य लाभों के उद्देश्य से, पेंशन राशि पर कम्प्यूटेड राशि को ध्यान में रखे बिना विचार किया जाता है और तदनुसार, सभी रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं और साथ ही सभी रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश भी रद्द किए जाते हैं।

19. इस आदेश की एक प्रति लखनऊ स्थित उ. प्र. सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) को भेजी जाए।"

8. जहाँ तक डॉ. ओम प्रकाश श्रीवास्तव और अन्य (पूर्वोक्त) के फैसले पर भरोसा करने का सवाल है, उस फैसले के पैरा 31 से 35 में निम्नलिखित बातें कही गई थीं:

"31. इसलिए, मुद्दे के गुण-दोष में जाए बिना और दिनांक 16.12.2019 (अनुलग्नक संख्या 3) के विवादित सर्कुलर में हस्तक्षेप किए बिना, मैं इस रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर ही निपटाता हूँ, जिसमें याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह सचिव, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (यानी विपक्षी पक्ष संख्या 1) और निदेशक, वित्त (स्थापना), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, रेल भवन, नई दिल्ली (विपक्षी पक्ष संख्या 2) को एक महीने की अवधि के भीतर एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इस अभ्यावेदन में याचिकाकर्ता वे सभी तर्क और आधार शामिल कर सकता है जो उसके लिए उपलब्ध हैं, और इसके साथ उन प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियाँ भी संलग्न कर सकता है जो याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के निपटान के

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

लिए आवश्यक हैं। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उ. प्र. सरकार द्वारा किया गया था। उक्त समिति द्वारा बहाली की अवधि से संबंधित मुद्दे की नए सिरे से जाँच की जानी चाहिए, जो कानून के अनुसार सख्ती से हो और एक सुविचारित तथा तर्कसंगत आदेश के रूप में हो। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी शीघ्रता से प्रदान किया जाना चाहिए, अधिमानतः उस तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जब याचिकाकर्ता द्वारा यह अभ्यावेदन (इस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ) प्रस्तुत किया जाता है; और इस संबंध में लिए गए निर्णय की सूचना उन व्यक्तियों को शीघ्रता से दी जाएगी जिन्होंने ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।"

32. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अगर रेलवे डिपार्टमेंट की सक्षम अथॉरिटी कोई कमेटी नहीं भी बनाती है, तो भी याची या रिटायर्ड कर्मचारियों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अभ्यावेदन पर, जैसा भी मामला हो, इस न्यायालय के आदेश के अनुसार फैसला किया जाएगा।

33. जब तक याची या उसकी एसोसिएशन के ऊपर दिए गए अभ्यावेदन पर, अगर कोई हो, सही फैसला नहीं हो जाता, तब तक याची से कोई रिकवरी नहीं की जाएगी।

34. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर याची को उसके अभ्यावेदन पर ऊपर दी गई कमेटी के पास किए गए आदेश से कोई परेशानी महसूस होती है, तो वह अपनी शिकायतों, अगर कोई हो, के समाधान के लिए सक्षम न्यायालय जा सकता है।

35. इसलिए, ऊपर बताई गई शर्तों को देखते हुए इस रिट याचिका को आखिरी तौर पर निपटाया जा रहा है।"

9. पक्षकारों के अधिवक्ता से यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या राधेश्याम शुक्ला और 14 अन्य (पूर्वोक्त) के फैसले को अपील में लागू किया गया है, जवाब 'नहीं' है।

10. वैसे भी, न्यायालय को राधेश्याम शुक्ला और 14 अन्य (पूर्वोक्त) के फैसले से अलग राय रखने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फरवरी 24, 2026

आशु

(मा0 न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”